रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2890] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2019/भाद्र 11, 1941
No. 2890] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2019/BHADRA 11, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

सं. 16/2015–2020

विषयः– विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 4.34 (i) में संशोधन।

का.आ. 3157(अ).–समय–समय पर यथा–संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति–2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

विदेश व्यापार नीति का मौजूदा पैरा 4.34 (i) जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है :–

(i) माउंटिंग्स और फाइनडिंग्स सहित सोने/चांदी/प्लैटिनम आभूषण और उनकी वस्तुओं के निर्यातक, नामित एजेंसी से इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में अग्रिम रुप से अथवा निर्यात के बाद पुनः पूर्ति के रुप में, निर्यात उत्पाद की निविष्टि के रुप में सोना/चांदी/प्लैटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

यदि निर्यातक/विनिर्माता निर्यातित उत्पाद संबंधी निम्नलिखित में कोई लाभ प्राप्त करता है, तो उसे बहुमूल्य धातु की कोई पुनः पूर्ति प्राप्त नहीं होगी।

(क) विनिर्माता द्वारा निविष्टियों और सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया गया है।

(ख) तैयार माल अवस्था संबंधी छूट अधिसूचना सं० 19/2004 सीई (एनटी) दिनांक 06.09.2004 के तहत प्राप्त की गई है।

(ग) बहुमूल्य धातु अथवा बहुमूल्य धातु की वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के संबंध में अधिसूचना सं. 21/2004–सीई (एनटी) दिनांक 06.09.2004 के तहत निविष्टि चरण छूट प्राप्त की गई है।

(घ) विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 19(2) के तहत बहुमूल्य धातु अथवा बहुमूल्य धातु की वस्तुएं प्राप्त की गई है।

(ड.) निर्यातक द्वारा निविष्टियों अथवा सेवाओं पर सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय–V के तहत निविष्टि कर क्रेडिट प्राप्त किया गया हैः अथवा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 के तहत आईटीसी की वापसी अथवा आईजीएसटी की वापसी प्राप्त की गई है।

विदेश व्यापार नीति के संशोधित पैरा 4.34 (i) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :–

(1) माउंटिंग्स और फाइनडिंग्स सहित सोने/चांदी/प्लैटिनम आभूषण और उनकी वस्तुओं के निर्यातक, नामित एजेंसी से इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में अग्रिम रुप से अथवा निर्यात के बाद पुनः पूर्ति के रुप में, निर्यात उत्पाद की निविष्टि के रुप में सोना/चांदी/प्लैटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

सोने/चांदी/प्लैटिनम की पुनप्राप्ति सीमा शुल्क विभाग की यथा संशोधित अधिसूचना सं. 57/2000–सीमा शुल्क विभाग दिनांक 08.05.2000 के अधीन होगी।

इस अधिसूचना का प्रभावः विदेश व्यापार नीति 2015–20 का पैरा 4.34(i) संशोधित किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/296/एएम–19/पीसी–4 से जारी]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2019

No. 16 / 2015-2020

Subject: Amendment of Para 4.34 (i) of the Foreign Trade Policy 2015-20.

S.O. 3157(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) Act, 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendments in Foreign Trade Policy 2015-20.

The current Para 4.34 (i) of the Foreign Trade Policy reads as under:

(i) Exporter of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof including mountings and findings may obtain gold / silver / platinum as an input for export product from Nominated Agency, in advance or as replenishment after export in accordance with the procedure specified in this behalf.

No replenishment of the precious metal shall be available to the exporter/manufacturer where the exporter / manufacturer avails any of the benefits in respect of exported product.

a. CENVAT Credit is availed on inputs or services by the manufacturer.

b. Finished goods stage rebate is availed under Notification No 19/2004-CE (NT) dated 06.09.2004.

c. Input stage rebate is availed in respect of duty of excise paid on the precious metal bar or articles of precious metal under Notification No 21/2004-CE(NT) dated 06.09.2004.

d. Precious metal or articles of precious metal are procured by the manufacturer under rule 19(2) of the Central Excise Rules, 2002.

e. Input Tax Credit is availed on inputs or services or both by the exporter under Chapter V of CGST Act; or refund of ITC or refund of IGST is availed under section 54 of the CGST Act.

The amended Para 4.34 (i) of the Foreign Trade Policy reads as under:

(i) Exporter of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof including mountings and findings may obtain gold / silver / platinum as an input for export product from Nominated Agency, in advance or as replenishment after export in accordance with the procedure specified in this behalf.

Replenishment of gold / silver / platinum will be subject to Customs notification No. 57/2000-Customs dated 08.05.2000, as amended.

Effect of the Notification: Para 4.34(i) of FTP 2015-20 stands amended.

[F. No. 01/94/180/296/AM-19/PC-4]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.02 19:08:10 +05'30'